शीर्षक: दहेज प्रथा: 21वीं सदी का काला धब्बा

डॉ. सिमी एस. कुरूप
अतिथि अध्यापिका, हिंदी विभाग, सेंट बेर्कमैन्स कॉलेज, चंगनाचेरी, केरल

प्रस्तावना: आधुनिकता के छल्ले में फँसी प्राचीन बुराई
हम 21वीं सदी में जी रहे हैं – एक ऐसा युग जहाँ मानव चंद्रमा पर पहुँच चुका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई है, और शिक्षा ने समाज के हर कोने में प्रवेश कर लिया है। फिर भी, भारत के घरों के आँगन में आज भी एक प्राचीन और कुरीति गहरी जड़ें जमाए हुए है – दहेज प्रथा। यह वह विषाक्त लता है जो सदियों पुरानी परंपरा के नाम पर आज भी लाखों महिलाओं के जीवन को नष्ट कर रही है।

दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक परंपरागत सामाजिक प्रथा है, जिसमें विवाह के समय वधु (लड़की) के परिवार द्वारा वर (लड़के) के परिवार को धन, जमीन, गाड़ी, सोना या अन्य कीमती वस्तुएँ उपहार स्वरूप दी जाती हैं। हालाँकि इस प्रथा को 1961 में दहेज निषेध अधिनियम द्वारा कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया गया है, फिर भी यह प्रथा आज भी न केवल जीवित है, बल्कि आर्थिक रूप से समृद्ध और शिक्षित वर्गों में भी एक 'सामाजिक अनुष्ठान' का रूप ले चुकी है।

इतिहास: स्त्रीधन से दहेज तक
दहेज प्रथा की उत्पत्ति प्राचीन भारत में 'स्त्रीधन' की अवधारणा से हुई। विवाह के समय लड़की को दिया जाने वाला यह धन उसकी आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक था – एक ऐसी संपत्ति जो केवल उसकी थी और जिस पर उसके पति या सास-ससुर का कोई अधिकार नहीं था। यह उपहार नहीं, बल्कि अधिकार था।

किंतु समय के साथ यह स्त्रीधन का अर्थ बदल गया। लड़के वालों की 'माँग' बन गया। सामाजिक दबाव, रूढ़ियों और लालच ने इसे एक व्यापारिक लेन-देन में बदल दिया। आज दहेज एक ऐसी बुराई बन चुकी है जो न केवल महिलाओं के जीवन को नष्ट करती है, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता को चुनौती देती है।

आज के समाज में दहेज प्रथा का स्वरूप
आज के युग में, जहाँ लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी बन रही हैं, वहीं उनकी शादी को एक 'व्यापारिक सौदा' बना दिया गया है।

कई बार शादी से पहले या बाद में लड़के वाले महंगी कार, सोना, नकद राशि, घर या यहाँ तक कि विदेश में नौकरी की व्यवस्था की माँग करते हैं।

उच्च शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त परिवारों में भी यह प्रथा आधुनिक रूप में मौजूद है। यदि दूल्हा डॉक्टर, इंजीनियर या विदेश में बसा है, तो दहेज की माँग उसी अनुपात में बढ़ जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह प्रथा अत्यधिक प्रभावशाली है। दहेज न देने पर विवाह टूट जाता है या फिर लड़की को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

कई बार तो इतना भी दे देने के बाद जितना माँगा गया है, फिर भी लड़की को पति के घर में यातनाएँ

झेलनी पड़ती हैं। सोना, गाड़ी, पिता की संपत्ति – सब कुछ देने के बाद भी, उसे 'अपर्याप्त' कहा जाता है।

दहेज प्रथा के दुष्परिणाम

1. आर्थिक बोझ

वधु पक्ष को भारी मात्रा में धन, सोना, गाड़ी या घर देना पड़ता है। इससे वे कर्ज में डूब जाते हैं या जीवन भर की कमाई एक ही दिन में खर्च कर बैठते हैं। कई परिवार तो बेटी के जन्म से ही उसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देते हैं।

2. महिलाओं के साथ अन्याय

दहेज की माँग पूरी न होने पर लड़कियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। कई मामलों में उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसे 'रसोई गैस लीक' या 'आत्महत्या' के रूप में छिपाया जाता है।

3. लिंग भेदभाव और भ्रूण हत्या

बेटियों को आर्थिक बोझ समझा जाता है। इसी सोच के कारण भ्रूण हत्या (Female Foeticide) का दुष्चक्र बढ़ रहा है। गर्भ में लिंग परीक्षण के बाद लड़कियों का गर्भपात कर दिया जाता है। इससे स्त्री-पुरुष अनुपात असंतुलित हो रहा है।

स्त्री-पुरुष अनुपात में कमी के मुख्य कारण:

भ्रूण हत्या – लिंग परीक्षण के बाद लड़कियों का गर्भपात।

दहेज प्रथा – बेटियों को आर्थिक बोझ समझा जाना।

लिंग भेद और सामाजिक मानसिकता – बेटे को 'वारिस' और बेटी को 'पराया धन' माना जाना।

शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव – अशिक्षित वर्गों में लड़कियों के प्रति उपेक्षा।

कानून का कमजोर क्रियान्वयन – PNDT अधिनियम के बावजूद गुप्त रूप से लिंग परीक्षण।

परिणाम:

विवाह योग्य लड़कियों की कमी।

मानव तस्करी, बाल विवाह और बलात्कार जैसे अपराधों में वृद्धि।

सामाजिक ढाँचे में लैंगिक असमानता का विस्तार।

साहित्य में दहेज की दुखांत कहानी

भारतीय साहित्यकारों ने भी दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रेमचंद जैसे महान लेखक ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस कुप्रथा के दुष्परिणामों को बेहद मार्मिक ढंग से चित्रित किया है।

'निर्मला' – इस उपन्यास में प्रेमचंद ने दहेज के अभाव में एक युवती को उम्रदराज व्यक्ति से विवाह करने की व्यथा बयान की है। निर्मला की आत्महत्या इस कुप्रथा के खिलाफ एक जीवंत आह्वान है।

'सेवा सदन' – इस उपन्यास में सुमन का अनमेल विवाह दहेज की कमी के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप पूरा परिवार टूट जाता है।

ये उपन्यास न केवल साहित्यिक रत्न हैं, बल्कि समाज के लिए एक जागरूकता का संदेश भी हैं।

दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाए गए कानून

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

इस अधिनियम के तहत दहेज लेना, देना या माँगना अपराध है।

दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-B

दहेज हत्या के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान।

यदि कोई महिला विवाह के सात वर्ष के भीतर मृत पाई जाए और उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ना हुई हो, तो यह धारा लागू होती है।

IPC की धारा 498-A

पत्नी के साथ अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान।

सजा : तीन वर्ष तक की जेल + जुर्माना । यह धारा 1983 में जोडी गई थी ।

Section 304B

यह दहेज मृत्यु से संबंधित है। इसके अंतर्गत शादी के सात साल के अंतर्गत यदि संदेह परिस्थितियों में महिला की मृत्यु होनाती है तथा यह साबित हो जाती है कि मृत्यु से पहले दहेज के लिए उत्पीडन हुआ था, तो आरोपी पति या ससुरालवालों को सात साल जेल और जरूरत पड़ने पर आजीवन कारावास भी हो सकता है।

इस प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई तरह के कानून बनाए गए है। इन सबका मकसद दहेज की उत्पीडन से महिलाओं को बचाना ही है। लेकिन इतनी अधिक कानूनी संरक्षण के बावजूद भी दहेज प्रथा को पूरी ताट से रोक नहीं पाई है। आज भी समाज में प्रचलित है। कानून तो एक उपकरण मात्र है, यदि दहेज प्रथा को पूरी तरह से रोकना है तो सामाजिक जागरूकता तथा समर्पित प्रवर्तन की जरूरत है।